प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2017 को NGT संबंधी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :—

दिनांक 26.09.2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में NGT संबंधी मामले में Writ Petition (Civil) No-375/2012 (पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य से उद्भूत विविध वाद सं०—121/2017/EZ) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, बियाडा के प्रतिनिधि, पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. उक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि 3 वर्ष के अन्दर राज्य में CETP (Common Effluent Treatment Plant) का निर्माण कराया जाय।

3. बैठक के क्रम में बियाडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बियाडा में मात्र 50 औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। इनके द्वारा 50 औद्योगिक क्षेत्र की सूची भी उपलब्ध करायी गयी। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि बियाडा द्वारा प्रथम चरण में 5 औद्यागिक क्षेत्रों यथा पाटलिपुत्रा, फतुहा, हाजीपुर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में CETP का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में बियाडा अन्तर्गत कहीं भी CETP निर्मित नहीं है। CETP के निर्माण हेतु व्यय के संबंध में बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत एवं उद्यमियों द्वारा 25 प्रतिशत राशि का वहन किया जाता है। इनके द्वारा बताया गया कि 4 औद्योगिक क्षेत्रों में CETP के निर्माण के लिए डी०पी०आर० तैयार कर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को उपलब्ध करायी गयी है, जिस पर अभी सहमति प्राप्त नहीं हो पायी है।

4. बियाडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि राज्य में किन—किन शहरों में CETP का निर्माण किया जाना है, उसकी सूची तैयार किया जाय एवं अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय। तदोपरांत डी०पी०आर० निर्माण की कार्रवाई की जाय तथा कार्यान्वयन में व्यय होने वाली राशि का भी आँकलन किया जाय।

5. बियाडा के प्रतिनिधि को यह भी निर्देश दिया गया कि जिन स्थानों पर इंडस्ट्रीयल एरिया है, उसके Land Availability का प्रतिवेदन तैयार किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/9/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक—6465 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक 3/10/17

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना / प्रबंध निदेशक,

बियाडा, पटना / अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–......6465......न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक ......3/10/17......

प्रतिलिपि :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव / श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी–3 / आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/2017

प्रधान सचिव